

मालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर खण्डपीठ रीवा (म० प्र०)



₹. 20/-

R - 4118 - III 114.

रमेश कुमार तनय स्व० भुवनेश्वर प्रसाद ब्रा० द्वारा मुख्तार आम - सुभाष चन्द्र शर्मा तनय स्व० भूषण चन्द्र शर्मा निवासी समान तहसील-हुजूर, जिला-रीवा (म० प्र०)

—निगराकर्ता

बनाम

1. मनोज कुमार मिश्रा तनय श्री बृजकिशोर मिश्र उम्र 34 वर्ष निवासी मोहल्ला बिछिया रीवा तहसील-हुजूर, जिला-रीवा (म० प्र०)
2. कुमारी निधि बाजपेयी पुत्री श्री गयाचरण बाजपेयी द्वारा सरपरस्त वली पिता श्री गयाचरण बाजपेयी निवासी रतहरा तहसील-हुजूर, जिला-रीवा (म० प्र०)
3. गयाचरण बाजपेयी तनय स्व० आनन्दी प्रसाद बाजपेयी निवासी रतहरा रीवा (म० प्र०)
4. शासन म० प्र०

—गैर निगराकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला-रीवा (म० प्र०) दिनांक 30.09.2014. को प्रकरण क्रमांक 129/अ 6/अ/09-2010 में पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

ग. वि. स. प्र. म. 20.11.14 के
दिनांक 20.11.14 के
रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार कोर्ट रीवा

क्रमांक 3838
रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त
दस्तावेज अर्थात् कोर्ट 4-12-14
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्न हैं -

1. यह कि भूमि खसरा क्रमांक 172 रकबा 1.41 ए० स्थित ग्राम रतहरा तहसील हुजूर जिला-रीवा (म० प्र०) के निगराकर्ता स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है।


क्रमांक 172 रकबा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-4118-III/14

जिला-रीवा

रमेश कुमार ब्रा0/ मनोज कुमार मिश्रा व अन्य

(1)	(2)	(3)
19-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 129/अ 6 अ/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30.09.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	

जिला-रीवा (म0 प्र0) के निगराकर्ता स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है।

क्रमांक 129/अ 6 अ/2009-10